

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या.621

में

2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.13730

=====

मो. मुजफ्फर इकबाल @ मो. मुजफ्फर इकाबल, पिता- स्वर्गीय मोहम्मद अली रहमान @ मोहम्मद मन्नान अली रहमानी, निवासी ग्राम -मजहरपट्टी, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा

... .अपीलकर्ता

बनाम

1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14.
3. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा-सह-राज्य कार्यक्रम अधिकारी (ट्यूबरकुलोसिस) बिहार, अगम कुआँ, पटना।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा कोशी प्रभाग, सहरसा।
5. जिला मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य सोसायटी, मधेपुरा।
6. जिला स्वास्थ्य सोसायटी, मधेपुरा सिविल सर्जन सह सचिव के माध्यम से।
7. मोहम्मद जुबैर सफी, पिता- मोहम्मद याकूब सफी, निवासी ग्राम और पोस्ट ऑफिस- भावनी, थाना-गमहरिया, जिला-मधेपुरा
8. मयंक, पिता- नवीन कुमार सिंह, निवासी ग्राम -तिलकपुर, पोस्ट ऑफिस -महमूद, थाना - आलमनगर, जिला-मधेपुरा

.....प्रतिवादी

=====

उपस्थिति

अपीलार्थी/ के लिए	:	श्री अजय कुमार झा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री एस. डी. यादव, ए. ए. जी-9
		श्री अनिल कुमार वर्मा, ए. ए. जी-9 का ए. सी.

=====

विचाराधीन मुद्दा : अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है - अपीलकर्ता वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक के पद के लिए उम्मीदवार था और अनारक्षित श्रेणी के तहत अधिक योग्य उम्मीदवार था, इसलिए, अनारक्षित श्रेणी के तहत रिक्ति के लिए उसके नाम पर विचार किया जाना चाहिए था क्या अपीलकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार न करने के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए

निर्णय दिया गया; अभिलेखों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी भले ही उनका दावा कुछ आरक्षण के तहत था, उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए कि वे अपीलकर्ता की तुलना में अधिक योग्य हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के पदों के खिलाफ समायोजित किया गया है। महिला आरक्षण के तहत गैर-पक्षकार उम्मीदवार मोनी कुमारी की नियुक्ति करते समय शेष एक पद भर लिया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, भले ही, अनारक्षित श्रेणी के तहत विज्ञापन में उप-वर्गीकरण नहीं देखा गया है। आरक्षण नीति जो भी प्रचलित है, उसका पालन किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, अपीलकर्ता ने गैर-समाविष्ट उम्मीदवार की चयन और नियुक्ति को चुनौती नहीं दी है ताकि तीसरे अनारक्षित पद के खिलाफ यह दावा किया जा सके कि अपीलकर्ता गैर-समाविष्ट उम्मीदवार से अधिक योग्य है। अपीलकर्ता उत्तरदाताओं संख्या 7 और 8 के साथ योग्यता के संबंध में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इन तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई दोष नहीं है और अपीलकर्ता ने आधिकारिक उत्तरदाताओं के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है कि उसे चयनित नहीं किया गया।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे
मौखिक निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. भजंत्री)
तिथी:- 08-05-2024

अपीलार्थी ने 2018 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13730 में पारित दिनांक 05.11.2018 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर हमला किया है।

2. अपीलार्थी-मो. मुजफ्फर इकबाल @मो. मुजाफ्फर इकाबल, 7 वें प्रतिवादी -मो. जुबैर शफी और 8 वें प्रतिवादी- मयंक और गैर-लागू उम्मीदवार मोनी कुमारी दिनांक 23.06.2016 विज्ञापन के अनुसार वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक के पद के लिए अन्य उम्मीदवारों के बीच उम्मीदवार थे। प्रतिवादी संख्या 7 और 8, हालांकि, उन्होंने आरक्षण के तहत अपनी उम्मीदवारी का दावा किया है। योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें दो पदों की अनारक्षित श्रेणी के खिलाफ समायोजित किया गया है। अनारक्षित श्रेणी के तहत शेष एक पद मोनी कुमारी को महिला आरक्षण के तहत समायोजित किया गया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी अनारक्षित श्रेणी के तहत अधिक योग्य उम्मीदवार था, इसलिए, अनारक्षित श्रेणी (तीन पदों में से) के तहत रिक्तियों में से एक के लिए उसके नाम पर विचार किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीन पदों की अनारक्षित श्रेणी में आरक्षण का कोई उप-वर्गीकरण नहीं है ताकि महिला आरक्षण जैसे तीसरे पद के खिलाफ मोनी कुमारी को समायोजित किया जा सके। उस हद तक, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सराहना नहीं की है। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने उपरोक्त तर्क का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, यदि वे उस स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के तहत अधिक योग्य हैं, तो उन आरक्षित श्रेणियों में से, जो अधिक योग्य हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के पद के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में 7 वीं और 8 वीं दोनों प्रतिवादी अपीलार्थी की तुलना में अधिक योग्य हैं। इसलिए, उन्हें दो पदों की अनारक्षित श्रेणी के लिए समायोजित किया

गया है। शेष पद (तीसरा पद) को मोनी कुमारी की नियुक्ति करते समय महिला आरक्षण के माध्यम से भरा गया है। अपीलार्थी ने मोनी कुमारी के चयन और नियुक्ति पर हमला नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि, अनारक्षित श्रेणी के तहत विज्ञापन में उप-वर्गीकरण मौन है।

5. खंड-2 पर इस हद तक ध्यान देने की आवश्यकता थी कि जो भी आरक्षण नीति प्रचलन में है और उसका पालन किया जाना आवश्यक है। इस तरह के खंड को ध्यान में रखते हुए, मोनी कुमारी को अनारक्षित महिला श्रेणी के तहत चुना गया है। इसलिए, कोई दुर्बलता नहीं है और अपीलार्थी के वकील के तर्क में कोई सार नहीं है।

6. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना।

7. वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक को भरने के लिए अधिसूचित आधिकारिक प्रतिवादी, छह पदों में से तीन अनारक्षित शेष पद एक-बी. सी. श्रेणी, एक ई. बी. सी. श्रेणी और एक एस. टी. श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए है। हम अनारक्षित श्रेणी के तीन पदों से संबंधित हैं। अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 7 और 8 भले ही उनका दावा कुछ आरक्षण के तहत था, उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए कि वे अपीलार्थी से अधिक योग्य हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के पदों के खिलाफ समायोजित किया गया है। महिला आरक्षण के तहत मोनी कुमारी की नियुक्ति करते हुए शेष एक पद भरा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन तीन पदों की अनारक्षित श्रेणी के उप-वर्गीकरण के बारे में इस हद तक चुप है कि एक पद महिला-अनारक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित होगा।

8. चाहे जो भी हो, विज्ञापन खंड-2 में लिखा है जो निम्न हैं:

“2. आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के मानक के अनुसार देय होगा।”

9. उपरोक्त शर्त को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक प्रतिवादियों ने तीसरे पद के खिलाफ मोनी कुमारी को सही नियुक्त किया है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने मोनी कुमारी के चयन और नियुक्ति पर हमला नहीं किया है ताकि तीसरे अनारक्षित पद के खिलाफ इस हद तक दावा किया जा सके कि अपीलार्थी मोनी कुमारी से अधिक योग्य है। अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के साथ योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है और अपीलार्थी ने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया है जिससे उसका चयन न करने के आधिकारिक प्रत्यर्थियों के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके।

10. तदनुसार, वर्तमान एल. पी. ए. को खारिज किया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

मनीष/-

खंडन (डिस्ट्रेक्टर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।